"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]　　　　रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 जनवरी 2016—— पौष 14, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-71/22-1/2015.—— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 70 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में -

अनुसूची -एक में,-

(क) शीर्षक जिला पंचायत के अधीन भाग-क कोर प्रभाग (विद्यमान स्टॉफ) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) में, शब्द एवं चिन्ह "आई. ए. एस./राज्य प्रशासनिक सेवा काडर वेतनमान" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं अंक "भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा / राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग वेतनमान/ग्रामीण विकास विभाग में ग्रेड वेतन (7600) का अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) शीर्षक जनपद पंचायत के अधीन भाग-क (विद्यमान स्टॉफ) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) में, अंक एवं चिन्ह "2000-3500" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "विभागीय अधिकारियों के लिए वेतनमान 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4400 तथा प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए वेतनमान 15600-39100+ग्रेड वेतन 5400" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-71/22-1/2015.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :-

AMENDMENT

In schedule of the said rules-

In Schedule-I,-

(a) In column (5) of serial number 1 of Part-A Core Division (Existing Staff) Under Heading Zila Panchayat, for the words and symbol "IAS/State Administrative Service (Cadre Pay Scale)" the words, symbol and figure "Indian Administrative Service/ Indian forest Service/State Administrative Service Cadre Pay Scale/officer of Grade Pay (7600) in Rural Development Department," shall be substituted.

(b) In column (5) of serial number 1 of Part-A - (Existing Staff) Under Heading Janpad Panchayat, for the figures and symbol "2000-3500" the words, figures and symbols "Pay Scale 93600-34800+Grade Pay 4400 for Departmental Officers and Pay Scale 15600-39100+ Grade Pay 5400 for officers on Deputation," shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप- सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.